NATIONAL CONVENTION OF WORKERS
MAVLANKAR HALL, NEW DELHI: 30th March 2016

DECLARATION

This National Convention of Workers organized by the Joint Platform of the Central Trade Unions (CTU) of the country along with Independent National Federations of employees of different Industries and Services congratulates the workers for the resounding historical success of the strike on 2nd September 2015 and also for their huge participation in the countrywide National Protest Day on 10th March 2016. This massive unity of the working people in the joint actions has to be further widened and strengthened in the process of struggle against the anti-worker, anti-people policies of Governments.

The Convention notes that attitude of the Govt is profoundly negative and hugely challenging to the working class. Despite readiness expressed by the CTUs through joint letter to the Govt after the 2nd September 2015 strike for commencement of dialogue on the 12 point charter of demands (CoD), the Govt did not respond at all thus arrogantly ignoring the message of such a huge strike by crores of workers pressing for their demands unanimously formulated by all the CTUs. The issues in the CoD relate to basic interest of the country's economy and also issues concerning the livelihood of the toiling people of both organised and unorganized sectors including the scheme workers.

The Govt has not taken any meaningful step to curb price rise of essential necessities and to generate employment except making tall baseless claims through sound-bites in the media. Instead of universalising public distribution system, the Govt is trying to scuttle it through the inherently anti-poor targeting mechanism called 'Direct Benefit Transfer' resulting further exclusion of the common and needy people. The huge dose of additional duty on diesel, doubling of cess on coal, and increase in indirect taxes in the latest Budget (2016-17) and the recent increase in prices of all petro products are bound to fuel further spiralling rise in prices of daily necessities.

The Govt is mysteriously silent on the question of retrieving the black-money stashed abroad. This Govt is equally unconcerned on recovering the Rs 4.04 lakh crore of Bad Debts, euphemistically called Non-Performing Assets (NPA) of Public Sector Banks and almost similar amount on account of unpaid direct tax. Rather in the Union Budget, it allowed further relaxations to both loan defaulters and tax-defaulters. And at the same time, the common and marginal people are being strangulated through huge increase in the burden of indirect tax and cut in allocations on social sectors etc.

Whole range of social security measures are under severe attack. The EPF and the ESI schemes are proposed to be made optional by the Govt to pave the way for their ultimate demolition. Post 2004 entrants in govt services, defence, railways etc have been subjected to notorious new pension scheme. And for the vast unorganized sector workers, old schemes are being repackaged and renamed, without providing for funds and implementation-machinery to just befool the people.

Although the Government had to roll back their retrograde budget proposal to tax the EPF withdrawal, they have launched atrocious attack of drastic cut in interest rate on small savings instruments like PPF, Postal saving deposits, Girl Child savings scheme, Sukanya Samridhhi Yojana, Kisan Vikas Patra, National Savings Certificate and even senior citizens' deposit schemes and monthly income scheme. This retrograde move would hit the common and marginal people very hard, more particularly those living on interest income only after retirement.

Totally ignoring the united opposition of the workers, the Government has been moving fast to demolish existing labour laws thereby empowering the employers with unfettered rights to "hire and fire" and stripping the workers and trade unions of all their rights and protection provided in laws. As follow up to the PMO's written communication to the Chief Secretaries of States, state governments are being directed to carry out Rajasthan type pro-management amendments in labour laws. The Labour Secretary, Govt of India has issued executive order on this 12th January granting exemption to so called Start-up Enterprises from inspection and application of 9 major labor laws, thereby legitimizing violations.

The proposed Small Factories (Regulations of Service conditions) Bill prescribes that major 14 labour laws will not apply to factories employing up to 40 workers. Labour Code on Wages Bill and Labour Code on Industrial Relations Bill under the cover of amalgamation, seek to make registration of unions almost impossible, making retrenchment and closure almost free for the employers class. These bills have been put in public domain totally ignoring the trade unions thereby violating the provisions of ILO Convention 144 on Tripartite Consultation. All these amendments are meant to exclude 90% of the workforce from

application of labour laws thereby allowing the employers to further squeeze and exploit the workers. All rights-components in all the labour laws are being demolished to impose conditions of slavery on the working people. Simultaneously, almost in all the states, the work-place level struggles of the workers are being sought to be crushed through repression including intimidation and arrests by the Govt machinery as is being nakedly visible in Rajasthan, Haryana, Tamilnadu, Andhra Pradesh, Gujarat etc in recent times.

Along with, the Peasantry and Agri Labourers are also under severe attack. Through sweeping changes in the Land Acquisition Act, Farmers' Right to Land and Agri-Workers' Right to Livelihood were sought to be drastically curbed, which ultimately could be stalled temporarily through popular struggles but the danger still remains.

Attack on public sector has been pushed to unprecedented height. Not merely disinvestment, the Govt will now go for 'mega strategic sale'. The main target is the Maharatna CPSUs and those amongst the top profit making CPSUs including banks/insurance. The ownership control and management of our shinning CPSUs are being sought to be handed over to the private corporates, both domestic & foreign. Along with, almost unlimited FDI is allowed in strategic sectors like Railways, Defence and Financial Sector as complementary to the move of privatization/PPP etc.

The anti-worker and authoritarian attitude of the Government is also nakedly reflected in their refusal to implement the consensus recommendations of 43rd, 44th and 45th Indian Labour Conferences on formulation of minimum wages, same wage and benefits as regular workers for the contract workers and granting status of workers with attendant benefits to the scheme workers like anganwadi, mid-day-meal, ASHA, para-teachers etc. On the contrary, the Govt drastically curtailed budget allocations to all those centrally sponsored schemes meant for poor peoples' welfare. The legislation on the issue of Street Vendors is not being implemented appropriately.

The convention reiterates the demand for strict implementation of labour laws and a total scrap of its proposals of so called “labour law-reforms”, halting mass scale unlawful contractorisation, minimum wages at not less than Rs 18000 per month with indexation and universal social security benefits and pension for all including the unorganized sector workers, etc. The demands also include compulsory registration of Trade Unions within 45 days and ratification of ILO Conventions 87 and 98.

The Convention urges the Govt. to reverse the direction of the ongoing economic policy regime which has landed the entire national economy in distress and decline affecting the working people the most. The Convention also extends support to the struggles of the govt employees, Railways and defence sector employees, bank & insurance employees, coal, telecom and transport sector employees etc on their just demands and against the policy regime.

The Convention calls upon all the trade unions, federations across the sectors to widen and consolidate the unity at the grass-root level and prepare for countrywide united movement and observe the following programme of agitation and action:

1) **Joint conventions and campaigns during June-July 2016 in states, districts and at industry level and take initiative to involve peasants, agri labour and mass of the people in the campaign**
2) **Day-long 'Mass Dharna/Satyagraha in the Capital of the States and Industrial Centres preferably on the auspicious day of 9th August 2016 (Quit India Day) in preparation for the Strike**
3) **ALL INDIA GENERAL STRIKE ON 2ND SEPTEMBER 2016**

The Convention once again expresses its readiness for arriving at an acceptable settlement to the 12 points Charter of Demands through discussion with the Government. Effective implementation forthwith the consensus recommendations of successive Indian Labour Conferences on minimum wage, on contract workers and the Scheme workers is crucial for the CTUs to prepare for dialogue with the Government.

The National Convention of Workers calls upon the trade unions and working people irrespective of affiliations to unite and make the countrywide General Strike a massive success. Unity of working people and masses have to be defended and strengthened through the process of struggles only. Convention also appeals to the Peasants, Agriculture Labour and the rural and urban toiling people to support and participate in the strike on 2nd September 2016.

INTUC **AITUC** **HMS** **CITU** **AIUTUC**

Sd/-

TUCC **SEWA** **AICCTU** **UTUC** **LPF**

AND ALL INDIA FEDERATIONS OF BANKS, INSURANCE, DEFENCE, RAILWAYS, CENTRAL/STATE GOVERNMENTS EMPLOYEES AND OTHER SERVICE ESTABLISHMENTS

मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेंशन

मावलंकर हॉल, नई दिल्ली, 30 मार्च. 2016

घोषणा

देश के केंद्रीय ट्रेड यूनियन संघों (सीटीयू) और विभिन्न उद्योगों एवं सेवाओं के राष्ट्रीय कर्मचारी फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मजदूर कन्वेंशन, 2 सितम्बर, 2015 की हड़ताल की शानदार ऐतिहासिक सफलता के लिए तथा 10 मार्च, 2016 को देशव्यापी राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस में उनकी भारी संख्या में शिरकत के लिए मजदूरों को बधाई देती है। सरकारों की मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष की प्रक्रिया में संयुक्त कार्रवाईयों से मेहनतकश लोगों की इस व्यापक एकता को संघर्ष की प्रक्रिया में और गहन व मजबूत बनाया जाना है।

कन्वेंशन इस बात को लक्षित करता है कि सरकार का रवैया बहुत अधिक नकारात्मक है और मजदूर वर्ग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। 2 सितम्बर, 2015 की हड़ताल के बाद सीटीयू द्वारा संयुक्त रूप से बातचीत को लिखे पत्र में 12 सूत्री मांग पत्र के आधार पर सरकार से बातचीत शुरू करने की सहमति जारी करने के बावजूद, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और इस तरह सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा सर्वसम्मति से तैयार मांगों को पूरा करने के लिए करोड़ों मजदूरों की व्यापक हड़ताल के संदेश की अंहकारपूर्ण उपेक्षा की है। मांग पत्र के मुद्दे देश की अर्थव्यवस्था के बुनियादी हितों से जुड़े है और ये मुद्दे स्कीम मजदूरों सहित संगठित व असंगठित क्षेत्रों के मेहनतकश लोगों की आजीविका से भी जुड़े है।

सरकार ने बुनियादी आवश्यकताओं की चीजों की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए और रोजगार पैदा करने के लिए मीडिया में बयानों के जरिये बड़े–बड़े दावों के अलावा कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया है। जन–वितरण प्रणाली को सर्वव्यापी बनाने के बजाय सरकार 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' (डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर) के नाम पर गरीब–विरोध लक्षित प्रणाली लागू करके इसे कमजोर बना रही है जिसके परिणामस्वरूप और अधिक आम व जरूरतमंद लोग इस प्रणाली से बाहर होते जा रहे हैं। डीजल पर अतिरिक्त कर, कोयले पर शुल्क दुगना करना और नये बजट (2016–17) में अप्रत्यक्ष करो में बढ़ोतरी तथा तमाम पट्रोलियम उत्पादों में की हाल की वृद्धि से रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दामों का और बढ़ना तय है।

सरकार विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के बारे में रहस्यपूर्ण तरीके से चुप्पी साधे है। इसी तरह सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 4.40 लाख करोड़ के बकाया ऋण, जिसे नॉन परमार्फिंग एस्सेट (एनपीए) कहा जाता है, की वसूली पर तथा लगभग इतनी ही बकाया पड़े प्रत्यक्ष कर की वसूली के प्रति कोई सरोकार नहीं दिखा रही। बल्कि केंद्रीय बजट में उसने बकाया ऋण वापसी न करने वालों और टैक्स बकाया रखने वालों को और आर्थिक रियायत दे दी है और साथ ही अप्रत्यक्ष करो में भारी वृद्धि तथा सामाजिक क्षेत्रों में आवंटन में कटौती करके आम और हाशिए पर पड़े लोगों को गला घोंटा जा रहा है।

सभी सामाजिक सुरक्षा कदमों पर भारी प्रहार हो रहें है। ईपीएफ और ईएसआई स्कीमों को सरकार ने वैकल्पिक बनाने का प्रस्ताव रखा है ताकि अंततः उन्हें खत्म करने का रास्ता साफ किया जा सके। 2004 के बाद सरकारी सेवाओं, सुरक्षा, रेलवे आदि में आने वालें को कुख्यात पेंशन स्कीम में तहत लाया जा रहा है और व्यापक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पुरानी स्कीमों को नये ढ्ग से पेश करके और उन्हें नये नाम देकर फंड तथा कार्यान्वयन व्यवस्था प्रदान किये बिना लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है।

हालांकि सरकार को ईपीएफ का पैसा निकालने पर टैक्स लगाने के अपने प्रतिगामी बजट प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा फिर भी उसने पीपीएफ, डाक जमा बचत, बालिका बचत स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग्स सार्टिफिकेट जैसी और यहां तक कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं और मासिक आय योजना जैसी छोटी बचतों पर ब्याज दरों में भारी कटौती के रूप में गंभीर हमले बोल दिये हैं। यह प्रतिगामी कदम आम आदमी और हाशिए पर पड़े लोगों पर, विशेषकर उन पर जो रिटायर होने के बाद ब्याज से होने वाली आय पर अपना गुजर– बसर करते हैं, बेहद बुरा असर डालेगी।

मजदूरों के एकताबद्ध विरोध की पूरी तरह उपेक्षा करते हुए, सरकार मौजूदा श्रम कानूनों को खतम करने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है और इस तरह मालिकों को मजदूरों को "काम पर रखने और काम से निकालने" की खुली छूट प्रदान कर रही है तथा मजदूरों और ट्रेड यूनियनों को कानूनों द्वारा जो अधिकार व सुरक्षा प्रदान है, उनसे वंचित कर रही है। राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गये प्रधानमंत्री कार्यालय के लिखित संदेश के बाद राज्य सरकारों को श्रम कानूनों में राजस्थान–प्रकार के प्रबंधन– समर्थन संशोधन करने के निर्देश दिये जा रहे है। भारत सरकार के श्रम सचिव ने इस वर्ष 12 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया है जिसमें तथाकथित 'स्टार्टअप' उद्यमों को, निरीक्षण से और नौ प्रमुख श्रम कानूनों को लागू करने से छूट दी गयी है और इस तरह इन कानूनों के उल्लंघन को वैध रूप प्रदान कर दिया है।

प्रस्तावित लघु फैक्टरियां (सेवा स्थितियों का विनियमन) बिल कहता है कि 40 मजदूरों वाली फैक्टरियों पर 14 प्रमुख श्रम कानून लागू नहीं होंगे। मजदूरी विधेयक श्रम संहिता एवं औद्योगिक संबंध विधेयक श्रम संहिता के विलयन के नाम पर यूनियनों के रजिस्ट्रेशन को लगभग असम्भव बनाने, मालिकों को छंटनी और तालाबंदी की पूरी छूट देने के प्रयास है। ये विधेयक ट्रेड यूनियनों को पूरी तरह उपेक्षा करते हुए सार्वजनिक किये गये है और इस तरह त्रिपक्षीय विमर्श संबंधी– आईएलओ कन्वेंशन 144 के प्रावधानों को उल्लंघन है। ये सभी संशोधन 90% श्रम बल को श्रम कानूनों से बाहर करने के लिए है और इस प्रकार मालिकों को मजदूरों का और अधिक खून चूसने

एवं उनका शोषण करने की इजाजत देते हैं। समस्त श्रम कानूनों से जुड़े अधिकार संबंधी प्रावधानों का समाप्त किया जा रहा है ताकि मेहनतकश जनता को गुलामी की स्थिति में डाला जा सके। इसके साथ ही लगभग सभी राज्यों में सरकारी तंत्र द्वारा धमकी व गिरफ्तारियों के साथ दमन के जरिये मजदूरों के कार्य–स्थल पर होने वाले संघर्षों को कुचलने के प्रयास हो रहे हैं जैसा कि राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि में हाल के समय साफ–साफ दिखायी दे रहा है।

इनके साथ, किसान और कृषि मजदूरों पर भी गंभीर प्रहार जारी हैं। भूमि अधिग्रहण कानून, किसानों के भू– अधिकार तथा कृषि मजदूरों के जीविका के अधिकारों पर तीव्र अंकुश लगाये जा रहें है, जो जन संघर्षों के द्वारा अंततः अस्थायी रूप से तो रोक दिये गये हैं, लेकिन खतरा बना हुआ है।

सार्वजनिक क्षेत्र पर हमले अभूतपर्व रूप तीव्र हो गये हैं। केवल विनिवेश ही नहीं बल्कि सरकार अब 'बड़ी रणनीतिक बिक्री करने वाली है। मुख्य निशाना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (सीपीएसयू) है और उनमें भी बैंक/बीमा सहित सर्वोच्च मुनाफा कमाने वाले सीपीएसयू शामिल हैं। हमारे चमकते सीपीएसयू का स्वामित्व व नियंत्रण और प्रबंधन घरेलू व विदेशी दोनों, निजी कॉर्पोरेटो के हाथों में देने के प्रयास जारी है। साथ ही निजीकरण/पीपीपी आदि के कदमों के सहायक के रूप में रेलवे, रक्षा और वित्तीय क्षेत्र जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में लगभग असीमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की इजाजत दे दी गयी है।

मजदूर–विरोधी और निरंकुश रवैया न्यूनतम मजदूरी, समान मजदूरी और अनुबंध पर काम करने वाले मजदूरों को नियमित मजदूरों के समान लाभ देने तथा आंगनबाड़ी, मिड–डे मील, आशा, पैरा शिक्षकों आदि जैसे स्कीम कर्मियों को कर्मचारी का दर्जा देने तथा उनके समान लाभ देने के सम्बंध में 43वें, 44वें और 45वें भारतीय श्रम सम्मेलनों की सर्वसम्मत सिफारिशों को कार्यान्वित करने से सरकार के इंकार में भी उसका मजदूर–विरोधी और निरंकुश रवैया स्पष्ट झलकता है। बल्कि सरकार ने तो गरीब जनता के कल्याण के लिए बनी केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों में बजट आंवटन में बहुत अधिक कमी कर दी है। रेहड़ी, पटरी वालों से जुड़े कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है।

यह कन्वेंशन श्रम कानूनों को सख्ती से कार्यान्वित करने की तथा सरकार के तथाकथित "श्रम कानून सुधारों" के प्रस्तावों को पूरी तरह रद्द करने की, व्यापक गैर– कानूनी ठेका प्रथा को रोकने, न्यूनतम मजदूरी 18000 रूपये प्रतिमाह के साथ महंगाई सूचकांक से उसे जोड़ने की तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों सहित सभी को सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा लाभ व पेंशन प्रदान करने की मांग को दोहराती है। उसकी मांगों में ट्रेड यूनियनों के 45 दिनों के भीतर अनिवार्य पंजीकरण और 87वें एवं 98वें आइएलओ कन्वेंशन की पुष्टि करने की मांग भी शामिल है।

राष्ट्रीय मजदूर कन्वेंशन सरकार से आग्रह करती है कि वह जारी आर्थिक नीति की दिशा को बदले जिसने समूची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मुसीबत में डाल दिया है और उसे नीचे की ओर ले जा रहा है जिसकों सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव मेहनतकश जनता पर पड़ रहा है। यह कन्वेंशन सरकारी कर्मचारियों, रेलवे व रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों, बैंक व बीमा कर्मचारियों, कोयला, टेलीकॉम और परिवहन क्षेत्र के कर्मचारियों आदि के न्यायपूर्ण मांगों के लिए सरकार की नीतियों खिलाफ संघर्षों के प्रति अपना समर्थन भी जताती है।

कन्वेंशन सभी क्षेत्रों के समस्त ट्रेड यूनियनों, फेडरेशनों का आह्वान करता है कि वो निचले स्तर की एकता को मजबूत बनायें और देशव्यापी संयुक्त आंदोलन के लिए तैयार हों और निम्नलिखित आंदोलन व कार्रवाई कार्यक्रम का आयोजन करें:–

1. **जून–जुलाई 2016 के दौरान राज्यों, जिलों और उद्योगों के स्तरों पर संयुक्त कन्वेंशन और अभियान चलायें तथा अभियान में किसानों/कृषि मजदरों और आम जनता को शामिल करने की पहल करें।**

2. **हड़ताल की तैयारी में राज्यों की राजधानियों में और औद्यागिक केंद्रों में एक दिवसीय आम धरना/ सत्याग्रह आयोजित करें, प्रमुख रूप से 9 अगस्त, 2016 (भारत छोड़ों दिवस) के शुभ दिन पर**

3. **2 सितम्बर, 2016 को अखिल भारतीय आम हड़ताल**

यह कन्वेंशन सरकार के साथ विचार–विमर्श के जरिये 12 सूत्री मांग पत्र पर स्वीकार्य समाधान तक पंहुचने को तैयार होने की अपनी मंशा का पुनः इजहार करती है। सरकार के साथ वार्ता को तैयार होने में न्यूनतम मजदूरी, ठेका मजदूर और स्कीम मजदूर सम्बंधी भारतीय श्रम सम्मेलनों की सर्वसम्मत सिफारिशों का कारगर कार्यान्वयन सीटीयू के लिए महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय मजदूर कन्वेंशन ट्रेड यूनियनों और मेहनतकश लोगों का उनकी सम्बद्धता चाहे जिससे हो, आह्वान करता है कि वे एकताबद्ध हों और देशव्यापी आम हड़ताल को व्यापक रूप से सफल बनायें। मेहनतकश जनों और आम जनसमुदाय की एकता की रक्षा और उसका सुदृढ़ीकरण संघर्षों के जरिये ही हो सकता है। कन्वेंशन किसानों, खेत मजदूरों और शहरी व ग्रामीण मेहनतकश जनों से भी अपील करती है कि वे 2 सितम्बर, 2016 की हड़ताल का समर्थन करें और उनमें शामिल हों।

इंटक **एटक** **एचएमएस** **सीटू** **एआइयूटीयूसी**

Sd/-

टीयूसीसी **सेवा** **एआईसीसीटीयू** **यूटीयूसी** **एलपीएफ**

तथा बैंकों, बीमा, रक्षा, रेलवे, केन्द्र/राज्य सरकारों के कर्मचारी और अन्य सेवा प्रतिष्ठानों के समस्त अखिल भारतीय फेडरेशन